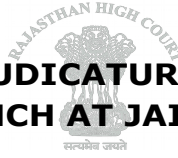




**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 1587/2026

Chetanraj S/o Durgesh, Aged About 39 Years, R/o Plot No. 28,
Krishna Colony, Vidhansabha Nagar, Village Dholai, Police Station
Muhana, Sanganer, Jaipur South.

(At Present Confined In Sub Jail Gangapur City).

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Anand Sharma, Adv. & Mr. Saurabh Tripathi, Adv. for Mr. Mukesh Pal Jadaun, Adv.
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

16/02/2026

प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र बी.एन.एस.एस. की धारा 483 (दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 439) के अन्तर्गत पुलिस थाना-मलारना झुंगर, जिला-सवाईमाधोपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-236/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406 भा.दं.सं. में पेश किया गया है।

प्रार्थी-अभियुक्त का प्रथम जमानत आवेदन आवश्यकतानुसार नवीन जमानत आवेदन पेश करने की स्वतंत्रता के साथ वापिस लिया गया था।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त ने तर्क दिया कि अभियुक्त निर्दोष है, उसे मिथ्या रूप से आलिप्त किया गया है, अभियुक्त दिनांक 31.08.2025 से अभिरक्षा में है, विचारण के दौरान परिवादी के बयान लेखबद्ध हो चुके हैं, मामला सिविल प्रकृति का है, विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।



इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थी-अभियुक्त का यह जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों की बहस के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

वर्तमान मामले में परिवादी द्वारा दर्ज करवाई गई रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त पर यह आरोप है अभियुक्त ने परिवादी व उसके साथियों से निवेश पर अत्यधिक लाभ का झांसा देकर लाखों रुपये की राशि प्राप्त की तथा बाद में नहीं लौटाई। अभियुक्त दिनांक 31.08.2025 से अभिरक्षा में है, विचारण के दौरान परिवादी के बयान लेखबद्ध हो चुके हैं, शेष विचारण में समय लगेगा।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रार्थी-अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त **चेतनराज पुत्र दुर्गेश** की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रुपये का बन्ध-पत्र तथा पचास-पचास हजार रुपये की दो सुदृढ़ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो हस्तगत प्रकरण में उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(UMA SHANKER VYAS),J